

निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2018

स्लोगन

- 1) वोटर लिस्ट में जोड़े नाम
जब हुए अठारह साल
- 2) हो गये जब 18 साल के
नाम जुड़वायें वोटर लिस्ट में
- 3) जिम्मेदार नागरिक कहलायें
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वायें
- 4) मतदाता सूची में नाम जुड़वायें
मतदान का अधिकार पायें।
- 5) मतदान तभी कर पायेंगे
जब वोटर लिस्ट में आयेंगे
- 6) कोई मतदाता न छुटे
वोटर लिस्ट में नाम जुटे
- 7) वे सभी हैं होशियार
वोटर लिस्ट में है जिनका नाम